# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 73/12 GCMS NO 2012/00073

मंदिर गोवन्द देवजी विराजमान कस्बा करौली जरिये प्रबंधकगण व नेक्स्ट फ्रैंड रामजीलाल पुत्र रतनलाल व रामजीलाल पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामखिलाडी उर्फ खिलाडी पुत्र मूला (फौत)
1/1. रामपति बेवा रामखिलाडी (फौत)(हजफ)
1/2. दामोदर पुत्र रामखिलाडी
1/3. खेमराज पुत्र रामखिलाडी
1/4. लेखराज पुत्र रामखिलाडी जातियान माली निवासीयान कायस्थ खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली
1/5. द्रोपती उर्फ द्रो पुत्री रामखिलाडी पत्नि लक्ष्मण जाति माली निवासी मेलागेट करौली
1/6. त्रिवेणी पुत्री रामखिलाडी पत्नि गजानन्द जाति माली निवासी मेला गेट करौली
2. रामबाई पत्नि मूला (फौत)(हजफ)
3. नथिया पुत्री मूला पत्नि हरिराम जाति माली निवासी तीन दरवाजा बाहर करौली
4. मुस0रतनी पुत्री मूला पत्नि टुनटुन जाति माली निवासी सांकरा तहसील करौली
5. भूमि आवाप्ति अधिकारी करौली
6. चैयरमेन आर.एस.ई.बी. राजस्थान जयपुर (जेबीबीएनएल)
7. अधिशासी अभियंता आर एस ई बी हिण्डौन सिटी(जेबीबीएनएल)
8. सहायक अभियंता आर एस ई बी करौली (जेबीबीएनएल)
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 1058/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.4.12 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली )

अभिभाषक अपीला0 श्री श्यामप्रकाश गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 श्री बाबूलाल शर्मा

दिनांक 23.1.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.4.12 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी व दखल व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि 5471 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी अलिप कस्बा करौली मंदिर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसका साबिक ख0न0 4315 और जिसके मुताबिक आज तक कब्जा काश्त के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2010–2013 मे है। मंदिर वादी मय आराजी कस्बा करौली का है और वादीगण मंदिर की आराजीयात की देखरेख व प्रबंध व व्यवस्था हेतु पंच अग्रवाल महाजन करौली द्वारा प्रबंधक नियुक्त है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अंधिकार है। मंदिर वादी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। आराजीयात मंदिर वादी की और से काश्त होती रही है। प्रतिवादी न0 1 ने सेटलमेंट कर्मिको से साज कर अवैधानिक तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार के अपने हक मे खातेदारी इन्द्राज करा लिया गया। जबकि सेटलमेंट अधिकारी सेटलमेंट कार्मिको को प्रतिवादी न0 1 के हक मे खातेदारी इन्द्राज करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रतिवादी न0 1 के हक मे किये गये रेवेन्यू इन्द्राज हकूक वादी मंदिर पर बेअसर प्रभावहीन व शून्य है और काबिल निरस्त है। मंदिर वादीगण के हक मे खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी न0 1 आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से काबिज है और ट्रेसपासर की तारीफ मे है। आराजी का कब्जा वादीगण को संभलवाने से इंकार है। प्रतिवादी को वादीगण की आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादीगण प्रतिवादीगण से दखल प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी न0 1 के हक मे गलत रूप से खातेदार हो जाने के सबब आराजी को भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी न0 2 को हस्तान्तरण करने पर तुला है और प्रतिवादी न0 3 ता 5 आराजी को विभाग के अवाप्त करने पर तुला है। जबकि समस्त प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात को अवाप्ति करने कराने का बिना वादीगण को सुने अवसर दिये कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रतिवादी न0 1 ने अवाप्ति कराने व मुआवजा प्राप्त करने पर तुला है और प्रतिवादी न0 3 ता 5 आराजी पर अवाप्ति प्रकिया के आधार पर कब्जा प्राप्त करने पर तुले हुए है व प्रतिवादी न0 2 अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी न0 1 को मुआवजा देने पर व कब्जा लेकर प्रतिवादी न0 3 ता 5 को कब्जा हस्तान्तरण करने पर तुला है। वादीगण को प्रतिवादीगण की इस अनाधिकृत कार्यवाही की जानकारी होने पर नकल राजस्व रिर्का से प्राप्त करने पर हुई। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त कार्यवाही नही करने को कहा व भूमि अवाप्ति अधिकारी को भी आवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण नही मान रहे है और अवाप्ति भूमि कब्जा कराने पर व मुआवजा लेने देने पर व कब्जा हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है। जबकि वादीगण कानूनन अधिकारी है और खातेदार है। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस अवैधानिक कार्यवाही मे सफल हो गये तो हकूक वादीगण पर बडा भारी आघात होगा। प्रतिवादीगण से मूला ने विवादित आराजी का मुआवजा प्रार्थी वादी की राजनैनिक कारणो से अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने से प्रतिवादी ने प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात का अवैध रूप से वादी से छुपाते हुए मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है। जिसको वादी प्राप्त करने का अधिकारी है क्योकि वादी नाबालिंग है उसके हकूक कभी समाप्त नही होते है। इसलिए दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त मुआवजा राशि को वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को मुआवजा राशि प्राप्त होने से वादीगण को दिये जाने तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिस्सा से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात ख0न0 5471 का मंदिर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं खातेदार काश्तकार इन्द्राज राजस्व रिकार्ड कराया जावे तथा वादीगण को विवादित आराजी का दखल प्रतिवादी न0 1 से दिलाया जावे। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया हो तो उसे बेदखल कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी न0 1 मुआवजा राशि नही देने स प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को कब्जा नही देने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मुआवजा राशि प्रतिवादी न0 1 को नही देने तथा वादीगण की जानकारी मे लाये बिना प्राप्त मुआवजा राशि को मय ब्याज वादी को दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है जो जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 से बखूबी स्पष्ट है। वादी शाश्वत नाबालिंग है। सेटलमेट विभाग द्वारा गलत रूप से भूमि के इन्द्राज बदले गये है। जिसका अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने खातेदारी अपने नाम से गलत दर्ज कराई है। जिसका पता लगने पर अपीलांट/वादी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया था। प्रतिवादी मूला द्वारा जमीन का मुआवजा अवैध रूप से उठा लिया गया है। जिसका उसको कोई अधिकार नही है। खोतदारी की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। किसी अन्य अदालत को खातेदारी की घोषणा का अधिकार नही है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दस्तावेज एवं माननीय उच्च न्यायालयो के निर्णय पेश किये है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अर्थ लगाते हुए दावा खारिज किया है । माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय प्रदर्श 5 मे प्रतिपादित किया है कि सक्षम न्यायालय मे अपने हकूको को तय कराकर मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। और खातेदारी हकूको को तय करने का अधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को है। इसलिए यह मुकदमा राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। अदालत मातहत द्वारा अवाप्ति अधिकारी के यहाँ धारा 4 धारा 5 ए व धारा 6 के तहत तथा धारा 9(1) के तहत अवाप्ति अधिकारी को मुआवजे के लिए क्लेम करने के लिए निर्णय दिया है। जबकि अवाप्ति अधिकारी को खातेदारी हकूक तय करने का अधिकार नही था। इसलिए अवाप्ति अधिकारी को इस संबंध मे कोई क्षैत्राधिकार नही था। मातहत अदालत ने अपने निर्णय मे यह भी दर्ज किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश की अपील सिविल न्यायालय मे पेश करनी चाहिए थीं यह भी कानून के खिलाफ है। अवाप्ति अधिकारी के आदेश की अपील सिविल न्यायालय मे नही हो सकती है। दावे की प्लीडिग के आधार पर क्षैत्राधिकार तय किया जाता है। दावे मे घोषणा खातेदारी की मुख्य रिलीफ है। जिसका सिर्फ राजस्व न्यायालय को ही निर्णय का अधिकार है। दावा अवाप्ति से पहले का है दौराने दावा अवाप्ति राशि ली गई है ऐसी सूरत मे सिर्फ अदालत मातहत को ही मुकदमे का निर्णय करने का क्षैत्राधिकार है। जिसे नही मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। उनकी संख्या 1 ता 3 का निर्णय गलत आधारो पर किया गया है। अतःअपीलांट की अपी[illegible] फरमाई जाकर वादी का दावा डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस क[illegible] किया कि विवादित आराजीयात से वादी/अपींलाट का कोई संबधं नही था ना ही अब है। सम[illegible] 2010 से 2013 मे कोई गलत एन्ट्री नही हुई है। इससे अपीलांट का कोई संबंध नही है। विवादित आराजीयात रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जे काश्त की आराजीयात है। अपीलांट का कथन रहा कि मंदिर अग्रवाल समाज का है यह कथन अपीलांट का गलत है। अग्रवाल समाज का कोई मंदिर था ना ही वादीगण/अपीलांट द्वारा आराजीयात व मंदिर की कोई व्यवस्था की ना ही इन्हे व्यवस्था करने का कोई हक है। अपींलांट/वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही था क्योकि मंदिर कोई रजिस्टर्ड नही है। विवादित आराजीया से मंदिर का कोई लेना देना नही है। सेटलमेंट द्वारा सही रूप से रेस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम सही रूप से खाता दर्ज किया है यदि अपीलांट को सेटलमेट के इन्द्राज का इल्म था तो उनके द्वारा उसी वक्त अपील करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। अपींलाट किसी भी प्रकार से विवादित आराजीयात के खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नही है ना ही प्रतिवादीगण के नाम हुए खाते को शून्य घोषित कराने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त कभी नही रहा है ना ही वर्तमान मे है। आराजीयात मुतनाजा को राज्य सरकार ने 132 के.बी. सब ग्रिड स्टेशन के लिए अवाप्त किया है जिसकी प्रतिवादी/रेस्पो0 ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे रिट पेश कर रखी है। जो वर्तमान मे पेण्डिग है। यदि राज्य सरकार भूमि को अवाप्त कर लेती है तो रेस्पो0 मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण/अपीलांट का भूमि मे किसी प्रकार का हक हकूक नही है। इस कारण किसी प्रकार से पाबन्द कराने का अधिकार नही है। विवादित आराजीयात पर रेस्पो/प्रतिवादीगण का अपने पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार रेस्पो/प्रतिवादीगण को एडवांस एवं होस्टाईल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अपींलाट के नाम गलत एन्ट्री हो जाने के कारण अपींलाट नारायज लाभ लेने के गरज से ही वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकीयात कायम की गई। जिसमे से तनकी संख्या 1 ता 3 वादी/अपीलांट को साबित करने का भार दिया गया था। अपीलांट द्वारा भारित तीनो तनकियो को साबित नही करने के कारण तनकी संख्या 1 ता 3 वादी के विपक्ष मे एवं प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करने एवं भूमि के अवाप्त होने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.10.93 की पालना मे अवाप्त शुदा भूमि के मुआवजे एवं भूमि के अधिकारो के विवाद हेतु वादी को सक्षम सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी जाकर विधि के प्रावधानो के अनुसार ही वादी/अपीलांट का वाद पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वार सिविल न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत नही कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.4.12 की अपील पेश की गई है। जो विधि के विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजीयात ख0न0 4315 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 मंदिर श्रीगोविन्ददेव जी की आराजीयात दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से मंदिर की आराजीयात को रेस्पो/प्रतिवादी के नाम दर्ज की है। प्रतिवादी न0 2 सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये अंकन के अनुसार विवादित आराजीयात पर बहैसियत ट्रेसपासर काबिज है। चूकिः मूर्ति नाबालिग शाश्वत है। जिसके अधिकारो को सुरक्षित रखने का दायित्व मंदिर के प्रबंधक को है। विवादित आराजीयात को भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा जी.एस.एस के निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है। जिसके संबंध मे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन होना अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अवगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot.
Date: 2023.03.27 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कराया गया है। भूमि को अवाप्त करने से पूर्व मंदिर के प्रबंधक को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया है। जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 के कॉलम संख्या 5 मे भूमि मंदिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पर अपीलांट का हक निहित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट गलत रूप से रेस्पो0/मूला के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। जिसकी आड मे रेस्पो0 उक्त आराजीयात को हस्तान्तरित करने पर आमादा है। जबकि भूमि मंदिर गोविन्ददेवजी की खातेदारी की आराजीयात रही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 105/98 निर्णय व डिकी दिनांक 30.4.12 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested